न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील संख्या:—22 / 2018
जी.सी.एम.एस .संख्या:—2018 / 00108

उनवान

1. शहीद कैप्टन रिपुदमन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर जरिये प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर राज0।

....अपीलांट।

बनाम

1. भोली शंकर शर्मा पुत्र देवीशंकर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी 47 बाल मन्दिर कॉलोनी बजरिया सवाई माधोपुर राजस्थान।
2. सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर सवाई माधोपुर राज0।
3. श्रीमान उप जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर राज0।

...रेस्पोडेन्टगण।

उपस्थित:—

1. श्री जे0 पी0 सैनी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भोलाशंकर शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01।
3. श्री पैरोकार सरकार अनुपस्थित।

——:: निर्णय ::—

दिनांक: 24.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 53 / 2016 बउनवान शहीद कैप्टन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर बनाम भोलाशंकर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 के विरुद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी उच्च शैक्षणिक संस्था व वादी के आधिपत्य की भूमि वाके ग्राम आलनपुर जिला सवाई माधोपुर कुल खसरा नंबर 45 रकबा 62 बीघा 09 बिस्वा भूमि वादी को राजस्थान सरकार के पंचायत व विकास विभाग के कृषि उत्पादन सचिव एवं विकास आयुक्त राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र कमांक एफ 70 (6) प्रशि / विवि / 70 / 538 दिनांक 27.01.1971 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर के अ0 शा0 पत्र क्रमांक एफ 2682/5779 दिनांक 24.09.70 से नव निर्मित डिग्री कॉलेज भवन के लिए हस्तान्तरित की गई। तफसील अपील मीमो के पेज नंबर 02, 03, 04 व 05 पर अंकित है। उक्त भूमि पर जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांट संस्था को पत्र क्रमांक/प036(7)2/सामान्य/76/5929 दिनांक 29.10.80 को भूमि का कब्जा सुपूर्द किया गया। उक्त आवंटित भूमि मे से खसरा नंबर 898, 971, 1578, 1580 लगायत 1586, 1588 का नामान्तकरण वादी के पक्ष मे खोलने के बाबत् अदालत मातहत मे उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत् वाद पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0 दी0 के तहत अदालत मातहत मे पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0 दी0 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी द्वारा रजि0 सेल डीड से क्रय की गई है। वादी द्वारा यह तथ्य को साबित करने से संबंधित कोई ऐसा दस्तावेज पेश नही किए गए कि वादी को वादग्रस्त आराजीयात को कैसे प्राप्त हुई? प्रार्थी द्वारा इस संबंध मे लिखित बहस पेश की गई जिसमे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों का ही विस्तृत रूप से कथन अंकित किए गए है। अदालत मातहत द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0 दी0 के निर्णय दिनांक 12.12.2017 से दावा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की गई है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य निर्णय के पैरा नंबर 02 के अतिरिक्त इस प्रकार है कि वाद पत्र मे साबिक व हाल खसरा नंबरो का भी अंकन किया गया था। रेस्पोडेन्टगण उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त नही है। अदालत मातहत द्वारा वादी का वादपत्र इस आधार पर खारिज किया गया था सिविल कोर्ट मे दोनो पक्षों द्वारा राजीनामा हो गया है परन्तु अपीलार्थी वादी संस्था व रेस्पोडेन्ट के मध्य कोई समझौता नही हुआ है। अदालत मातहत द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 को गलत आधार पर स्वीकार कर वादी का वादपत्र खारिज कर दिया गया। अंत मे अनुतोष चाहा गया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 12.12.2017 मुकदमा नंबर 53/2016 को स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर समुचित सुनवाई व साक्ष्य के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश फरमाया जावे।
4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

5. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस पेश की एवं लिखित बहस के ही तथ्यों को दोहराया गया । लिखित बहस मे निर्णय के पैरा नंबर 02 व 03 के तथ्यों का ही अंकन किया गया है।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा जवाब बहस के कथन मे लिखित बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0 दी0 के तथ्यों को ही दोहराया गया ।

7. उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

8. रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.01.1971 को अपीलांट को आवंटित हुई। तहसीलदर सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक 73/07.01.82 के अनुसार आवंटित कुल आराजी 62 बीघा 09 बिस्वा मे निजी खातेदारी आराजीयात रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा का अंकन है। इस 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि जो निजी खातेदारी मे बताई गई है का आवंटन अपीलांट को किस आधार पर हुआ है, इसका कोई भी दस्तावेज शामिल मिसल नही है। वादग्रस्त आराजीया बाबत् रेस्पोडेन्ट एवं राज्य सरकार के मध्य विनिमय की स्वीकृति जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/15/3897–3905 दिनांक 10.07.2015 द्वारा आदेश जारी किए गए, और इसी आधार पर रेस्पोडेन्ट व राजस्थान राज्य के मध्य न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सवाई माधोपुर मे दिनांक 13.07.2015 को भी हो चुका है। अपीलांट अधिवक्ता का लिखित बहस मे यह कथन कि वह उक्त राजीनामे से बाध्य नही है कि वह इसमे पक्षकार नही है। इस तथ्य का कोई कानुनी आधार नही है क्योकि विनिमय की स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी हुई है।

यह कि सिविल राजीनामे के विरूद्व अपील श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नही हैं और विनिमय की सक्षम स्वीकृति जारी हुई है। इस कारण अपीलांट कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता हैं। अदालत मातहत द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 विधिक रूप से स्वीकार वादपत्र को खारिज किया गया है। उक्त तथ्य का प्रतिपादन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर द्वारा दृष्टांत **2017(1) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 508** पर किया गया है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन पाए जाने व श्रवणाधिकार से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 53/2016 बउनवान शहीद कैप्टन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर बनाम भोलाशंकर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 को यथावत रखा जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 24.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner